



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269365
CG-DL-E-16012026-269365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 42]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 9 जनवरी 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS(1401).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1286) दिनांक 08 जुलाई 2025 (प्रकाशित दिनांक 14 जुलाई 2025)

अनुसूची के क्रम संख्या 01, कॉलम (5) में — '07 जनवरी 2026' को '07 जुलाई 2026' से प्रतिस्थापित करें।

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./616/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th January, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1401).— Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1286) dated 08 July 2025 (Published on 14 July 2025)

Sl No. 01, column (5) of schedule — Substitute ‘07 July 2026’ for ‘07 January 2026’.

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./616/2025-26]